

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1951
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की
क्रम सं० 14
समय 12.34 P.M.
दि० 22/4/2014

आ०

22/4

नामनिर्देशन-पत्र लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिएसंसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट

..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं०

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए 02-पश्चिम-सम्प्राण संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम युनीस कुमार राव

पिता/माता/पति का नाम कपिलदेव राव

उसका डाक पता ग्राम नं०- लौकलिया, थाना-बैरिया, जिला-पठानकोट

उसका नाम 02-पश्चिम-सम्प्राण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट 06-नो. 177 विधान

सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 88 में क्रम सं० 375 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	06-नौतन	58	710	जवीन कुमार	जवीन कुमार	22-04-14
2	06-नौतन	57	993	सुरेन्द्र नाथ चौधरी	सुरेन्द्र नाथ चौधरी	22-04-14
3	06-नौतन	58	594	सुधन मुखिया	सुधन मुखिया	22-04-14
4	06-नौतन	58	1020	चन्डी हाजरा	चन्डी हाजरा	22-04-14
5	06-नौतन	58	754	शिवपसन्न मुखिया	शिवपसन्न मुखिया	22-04-14
6	06-नौतन	57	945	हरगुन चौधरी	हरगुन चौधरी	22-04-14
7	06-नौतन	58	715	रामजी मुखिया	रामजी मुखिया	22-04-14
8	06-नौतन	59	600	फिरोज महमद	फिरोज महमद	22-04-14
9	06-नौतन	59	597	समसाह आलम	समसाह आलम	22-04-14
10	06-नौतन	58	134	दिपक कुमार	दिपक कुमार	22-04-14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, ~~नाम~~/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 44 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।
(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) तीन तारा वाला कर्कश (ii) (iii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/मुत्ता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित
**जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख .. २२.०५.२०१५ ..

कुनील कुमार-
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

नहीं

यदि उत्तर 'हाँ' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मापला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक

(ii) पुलिस थाना (थाने)

जिला (जिले)

राज्य

(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें —

 (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
 (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हों / नहीं
 (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां :-
 (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :-
 (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है
 (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति

स्थान :- अटिणा

तारीख :- 22.04.2014

सुनील कुमार
 (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- 14

यह नामनिर्देशन पुझे/मेरे कार्यालय में 22.4.2014 (तारीख) को 12:34pm (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 22.4.2014

22/4
 निवासे निवासे
 (रिटनिंग आफिसर)
 02-उज्जैन जिला न्यायालय, उज्जैन

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटनिंग आफिसर)

Serial No. AD

49098

0000020

21.4.2016

375349

BIHAR



FFIDAVIT (शपथ पत्र)

तकत, श्री नोटरी पब्लिक शैलजा

तकत :- जयत तन्वीर का विवरण

Authority

Under Notaries Act & शपथपत्र
2007 C.P.C. 170

पटवनी
00000

0000080

375349

INDIA

शपथकर्ता

शपथकर्ता

मैं कुलीन कुमार राय पौड को जयत तन्वीर राय उर्फ का वर्ग का विवरण :-
तकत का धान :- औरंगा जिला बरिचम चम्पारण का क्षेत्र
को तहसील मानकर तब तब हस्तगत ध्यान करता हूँ :-

1. यह धान मेरी जयत तन्वीर का विवरण निम्न प्रकार है
विवरण मेरे पिताजी द्वारा मेरी जिल्हा व तजर्जिरी मूजिम है

जो विवरण मेरे पिताजी द्वारा तहसील मिला है।

विवरण तहसील तहसील विवरण कुल नाम वर्तमान वाजार मूल्य

विवरण	तहसील	खाना	खंड	कत	वी-
कुलीन कुमार राय	112	298	1369	6	2
कुलीन	"	"	3342	10	4
औरंगा में	"	"	336	2	2
	"	"	3406	3	2
तजर्जिरी			3431	3	6
नंदपुर			306	20	00
नोटरी पब्लिक			309	10	00
शैलजा			316	21	02
			360	08	02
			924	09	06
			960	11	03
			980	14	
कुलीन कुमार राय					82,00,000
कुलीन					92000
कुलीन					5,00,000

कुल स्थायी तहसील का वर्तमान वाजार मूल्य

शपथकर्ता

मैं पुनः तब तब स्वरार करता हूँ कि

इसमें लिखित तहसील का मेरी धान का

तहसील पौड है।

शपथकर्ता

शपथकर्ता

COURT FEE
No. AD
49155
599



(नियम 4क देखिए)

Handwritten signature

08-परिचाम चम्पारण निवाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
निर्वाचन अधिकार के समक्ष अन्वेषी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सपथपत्र

Authority
Under Notaries Act & D.S.
197 Cr. P.C. 139

भाग-क

शुनील कुमार शव पुत्र/पुत्री/पत्नी कपिलदेव शव आयु 41 वर्ष
जो साम न पोस्ट - लॉकरिया शाना - बैरिया जिला - पंच-चम्पारण

(आपका पूरा पता लिखें) का/की नियासी है और उपरोक्त निर्वाचन से अन्वेषी है सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है/
कसती है- शपथ पर निम्नलिखित कथन करता है/कसती है-

(1) कश्चुनिरुष्ट पार्टी ऑफ इंडीआ (मार्फेसिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन
(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अन्वेषी/पक्ष
अन्वेषी के रूप में लड़ रहा है। (जो लागू न हो उस काट दें)

(2) मेरा नाम 06 नॉर्तव शाप्रान्य सिधाव सभा निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम में भाग सं० १४ के
अन सं० 375 पर प्रदिए है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएं है/हैं 06254 259449 9431642327
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है Sunilkumar.200bth@gmail.com
एवं मेरा शोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है

शुनील कुमार शव

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थना :-

क्र. सं.	नाम	पैन	विवरण वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित तुल आर(रुमए में)
1.	स्वयं शुनील कुमार शव	00IPR048H	लागू नहीं	शून्य
2.	पति का पत्नी सलोनी शव	00UPR070 HJ	लागू नहीं	शून्य
3.	आश्रित-1 प्रियदर्शीनी श्वति	शून्य	लागू नहीं	शून्य
4.	आश्रित-2 प्रियदर्शी आकाश	शून्य	लागू नहीं	शून्य
5.	आश्रित-3 सोमिन कुमार शव	शून्य	लागू नहीं	शून्य



Handwritten signature and date
21.04.2014

(6) में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है, जिसने सक्षम अधिकारिण वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

एदि अनिच्छा ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो उस निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण थर	(i) अजमेरपुर रेलवे स्टेशन संख्या:- 158/03 (ii) कुर्गोमी रेल थाना का संख्या:- 28/02 (iii) जीनाहा थाना का संख्या:- 71/02
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	(i) 147, 148, 149, 307, 308, 302, 120 (b) 41-48 (ii) 174 'A' Railway Act (iii) 147, 148, 149, 301, 302, 130, 323, 324, 325, 307, 353, 355, 120 (b), 504 7-9-4-29 Arms Act 23/5 2-3-Act
(ग)	न्यायालय जज नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(i) 25-9-2005 C-3-M.B.M S.M.No: 481/05 (ii) सादर (iii) जज के नाम
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) को, विरचना की गई	Adhoc A.D.-J.F.C vth Balthah
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1-25-06-2010 S.M.No: 481/05
(च)	क्या रूमी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिण वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/है	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमे न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वगत मद

(i) में उल्लिखित मामलों में निम्न] :-

(क)	संज्ञान लेने का नाम, नामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के थर जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वगत आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के थर	लागू नहीं

क) मुझे अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 का उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से निरुद्ध हो चुका है/नहीं उदरगत गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडित किया गया है/नहीं दिया गया है।



कुशील कुमार

Identified by

Signature
 Date:
 21-4-14

यदि अमिसह्यी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिराके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है:	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे पेरें पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे:

टिप्पण 1- राशुक्त स्वाधित्व की शीना को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाग्रहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000/00	10,000/00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिनमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	B/c No: 3-8-1 11406017043 राशि- 2,000/00 कोलकाता ब्रांच में 5017 501657 राशि- 3,000/00 cap. 504 814 B/c No: 3034 राशि- 800/00	Cooperative Bank, BTM B/c No: 3358 राशि- 2,000/00	शून्य	शून्य	शून्य



सुनील कुमार - Identified by
Bhawani...

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	सहकारी संस्था सी.बी.ए.के.ए. क्रमांक: 3074 जमा: 800.00	सहकारी संस्था सी.बी.ए.के.ए. क्रमांक: 3074 जमा: 800.00	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचर्स/शेयर्स तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/गाट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	100ग्राम डि. लेनोसिमक 400ग्राम डि. चाकीरकर	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	35,800/00	3,24,000/00	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (सख्याएं)	बं. कृष्णा धूर 06.13.13 खाना खेततंगु विवाहा अलग है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	11 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



कुनील कुमा (21/9) *Identified by*
Signature
 20/11/14

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	ज्ञात नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	32 हजार 500 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां)	5 कट्टा खण्ड-298	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्या(संख्याएं)	खंड-3342				
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	16250	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	05 लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्या(संख्याएं)					
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	1 रु भवन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्या(संख्याएं)	तीन कंठ				



शुनील कुमार 219- Identified by
शुनील कुमार
Adv.
21/11/2019

Authority
Under Notaries Act & Rules
1972 P.C. 110 P.C.

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	3250	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1625	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की शारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिश्चान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पाँच लाख रूपया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हिल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	93 लाख रूपया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्योरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्योरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	3 लाख 51 हजार 500 रूपया और 50 पैसे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	03 लाख 51 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



कुनील कुमार - Identified by
 Anil Kumar Singh
 20/11/14

विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हा तो अंतर्गतित रकम और उस प्राधिकारी लिमिटे सफल यह लभित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9) वृत्ति या उपरोक्तिका के ब्यारे:

(क) स्वयं स्वैती

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं

10) नरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

बी.ए. आनर्स (राजनीतिशास्त्र) एम.जी.के. कॉलेज बेगूसरिया, बाबू लोहिया
श्रीम शिव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर सत्र 1992-95
(पाठ्यक्रम/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिाला ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौच दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यारों का उद्धरण

1	अग्रार्थी का नाम	श्री/भौमती/कु <u>शुनील कुमार राव</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>ग्राम + पो. लोकरीया धना - दरिया निला - पठ</u> <u>बाम्बाराज</u>
3	लिखित सेट की संख्या और नाम तथा	<u>06- नौनन विद्यालय सभा बिहार</u> <u>02 - पड़िसग - बाम्बाराज, बिहार</u>



शुनील कुमार राव - Identified by
श्री सुवेदी
Adv.
21.4.14

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अन्तर्गत् को खड़ा किया है (अन्यथा खाली लिखें)	Communist party of India (Marxist-Leninist) Liberation				
5	(i) ऐसे दंडित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [लेखक (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	(i) झिंकारपुर थाना काउंट संख्या :- 158/03 (ii) सुर्जोली रेल थाना काउंट संख्या :- 28/02 (iii) जौनाहा थाना काउंट संख्या :- 71/02 लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धरूप उल्लेखित गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य				
7	_____ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्षी	BOIPROUS H	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	BOUPROAO 53	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के बारे में (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	समान आस्तियाँ (फिल, फ्लोर)	82 लाख का भ्रग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियाँ					
	i. संचित स्थावर संपत्ति की कुल कीमत	92 हजार 5000 रूपयाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii. वन्द के परभाव स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii. अनुमानित वर्तमान संचित कीमत	88 लाख रूपयाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



सुनील कुमार (214)

S. K. SINGH
adv.
21.11.14

	(क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य)	92 हजार 500 शुल्क संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	87 लाख संख्या				
9	दायित्व					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	03 लाख 41 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	सर्वोत्तम शैक्षिक अर्हता: श्री. ए. आनंद (राजनीतिकशास्त्र, एम. जे. डी. कॉलेज, बेनिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विद्यालय, विद्यालय भुजफोरपुर राज्य - 1992-95 (प्रनापपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप को उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिताजी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

उक्त तारीख 21-04-2019 को सत्यापित किया गया।

Identified by

Sh. P. N. P.

शुनील कुमार शर्मा
अभिताजी

- टिप्पण: 1. शपथपत्र मार्गांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 300 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी अधिकारी के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संख्या में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, क्या स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं" होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



शुनील कुमार शर्मा
Identified by
Sh. P. N. P.
21.11.19